

शुद्धि मेहता / अशुद्धि / त्रुटी सुनेल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
13/11/2025	ग्रामीण सेवा शिविर में प्रार्थी/वादी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी/अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की जाकर बाद जांच रिपोर्ट प्राप्ति पत्रावली दिनांक 17/11/2025 को पेश को हो।	
17/11/2025	पत्रावली पेश हुई। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी/पेरोकार सरकार तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी/वादी व पेरोकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में राजस्व कार्मिकों द्वारा भूप्रबंध सर्वे-रिसर्वे के दौरान या फर्द बदर बनाते समय या नामान्तरण दर्ज करते समय कोई टाईपिंग या लिपीकीय त्रुटी गई हो। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे।	



(दिनेश कुमार मीना)
सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी
एवं पीडावा उपखण्ड अधिकारी पिडावा



पिडावा, जिला झालावाड (राज0)